न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 127/2018 दायरा दिनांक : 11.07.2018

उनवान

1– शांतिबाई बेवा मन्नावन, जाति गुसाई, निवासी ग्राम बालून्दा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2– हंसराज पुत्र मन्नावन, जाति गुसाई, निवासी ग्राम बालून्दा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3– बद्रीलाल पुत्र मन्नावन, जाति गुसाई, निवासी ग्राम बालून्दा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

4– रामप्रसाद पुत्र मन्नावन, जाति गुसाई, निवासी ग्राम बालून्दा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

5– बंशीलाल पुत्र मन्नावन, जाति गुसाई, निवासी ग्राम बालून्दा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

6– बनवारीलाल पुत्र मन्नावन, जाति गुसाई, निवासी ग्राम बालून्दा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

7– महावीर पुत्र मन्नावन, जाति गुसाई, निवासी ग्राम बालून्दा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

8– ओमप्रकाश पुत्र मन्नावन, जाति गुसाई, निवासी ग्राम बालून्दा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

9– कौशल्याबाई पुत्री मन्नावन, जाति गुसाई, निवासी ग्राम बालून्दा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

10– सुगनाबाई पुत्री मन्नावन, जाति गुसाई, निवासी ग्राम बालून्दा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलेक्टर, बारां, जिला बारां

2— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री कमलदीप सिंह अभिभाषक अपीलांट की ओर से

पैरोकार सरकार रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 25.01.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या — 31/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 08.07.2016 से व्यथित होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट के पिता स्वर्गीय श्री मन्नावन पुत्र श्री सुखवन ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया जिसका खसरा नम्बर 128 रकबा 21 बीघा 1 बिस्वा आराजी वाके ग्राम मौजा भावगढ़ तहसील मांगरोल, में सम्वत 2027—40 में अपीलांट के पिता स्वर्गीय मन्नावन के खाते दर्ज थी । सम्वत 2010—29 की खतौनी बन्दोबस्त में उक्त आराजी माफी चबूतरा श्री मठ स्थान बालून्दा पुजारी मुन्नावन पुत्र सुखवन के नाम दर्ज हो रही है । सैटलमेंट जमाबंदी सम्वत 2044—63 में श्री चबूतरा मठ स्थान बालून्दा पुजारी मन्नावन पुत्र सुखवन हाल सैटलमेंट के बाद नवीन खसरा नम्बर 68 रकबा 3.30 हेक्टर जमाबंदी सम्वत 2067—70 में खाता संख्या 101 में चबूतरा मठ स्थान बालून्दा के नाम खसरा नम्बर 268 रकबा 3.30 हेक्टर आराजी दर्ज हो रहा है और अपीलांट के पिता का नाम उक्त आराजी से हटा दिया गया

उक्त आराजी माफी रिज्यूम की थी । माफी रिज्यूम हो जाने के पश्चात् मन्नावन के कब्जे काश्त की थी, इसलिए उनके खाते दर्ज की गई परन्तु सैटलमेंट के पश्चात उपरोक्त आराजी को पुनः माफी के नाम दर्ज कर दिया गया, जो गलत है । अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त आराजी के सम्बन्ध में हाल पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय दिनांक 08.07.2016 को पारित किया एवं अपीलांट का नाम खारिज कर दिया गया, जो विधि सम्मत नहीं है । वादी की मृत्यु दिनांक 11.10.2014 को हो चुकी थी और अधीनस्थ न्यायालय ने मरे हुए व्यक्ति के खिलाफ निर्णय परित किया है । तहसीलदार, मांगरोल की जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट क्रम 1 लगायत 10 को यह पता नहीं था कि स्वर्गीय मन्नावन ने कोई वाद अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है । अपीलांट जब हाल नकल जमाबंदी लेने गये तब उन्हें पता लगा कि अपीलांट के पिता ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा पेश कर रखा था जो दिनांक 08.07.2016 को खारिज फरमा दिया गया । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं होने से खारिज होने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम अपीलांट को मांगरोल कार्यालय में हाल नकल जमाबंदी लेने गये तो आफिस कानूनगो द्वारा पता लगा । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस योग्य अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी । अतः अपीलांट को सुनवायी एवं साक्ष्य

प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक के खिलाफ निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

पैराकार सरकार ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वह सही किया है । अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों एवं कानूनी प्रावधानों को विवेचित करते हुए निर्णय पारित किया है एवं इस न्यायालय में अपीलांट द्वारा ऐसी अन्य कोई नयी साक्ष्य पेश नहीं की गई है, जिससे कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किया जा सके । अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.07.2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा